अपर समाहर्त्ता का न्यायालय, गोड्डा
RMA No- 25/ 2013-14

26/12/2022

अपीलकर्त्ता-अरूण मेहरा उर्फ राम

बनाम

उत्तरवादी- इन्दू दूबे अन्य

-: आदेश :-

प्रस्तुत अपील विद्वान भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, गोड्डा के न्यायालय का मुटेशन अपील नं0- 28/1991-92 दिनकर प्रसाद दूबे वैगरह बनाम् रैयान मौजा लतौना अंचल पथरगामा में दिनांक-16.12.1991 को पारित आदेश के विरूद्व उपायुक्त महोदय के न्यायाल मे दाखिल किया गया। तत्पश्चात वाद का निष्पादनार्थ दिनांक-22.08.2013 को अधोहस्ताक्षरी के न्यायालय मे हस्तांतरण किया गया है।

उभय पक्षों को नोटिश निर्गत किया गया। दाखिल कागजातों एवं निम्न न्यायालय के आदेश का अवलोकन किया।

अपीलकर्त्तागण का मुख्य दावा यह है कि मौजा-लतौना, थाना व अंचल-पथरगामा, जिला-गोड्डा के जमाबंदी नं0-27 के दाग नं0-348 के अन्दर 01 बी0 10 क0 16 धूर (एक बीघा दस कट्टा सोलह धूर) जमीन जो गैजर सेटेलमेंट परचा में जाबंदी रैयत पंथर मेहरा, धुरो मेहरा इन्ही लोगों के वंशज है तथा उत्तरवादी सं0-1 और 2 ने बिना किसी नोटिश के निम्न न्यायालय से उक्त जमीन का मुटेशन कुरफा, कुरफ रसीद तथा सरकार को भी खजाना देने के आधार पर एवं कानूनगो के प्रतिवेदन के आधार पर अपने नाम से करा लिया है। उक्त मुटेशन बिना आपसी सहमति और बगैर कोई पारिवारिक बटवारा के आधार पर किया गया इसमें जमाबंदी रैयत का कोई सहमति नही है जो कानूनन गलत है।

अपीलकर्त्तागण ने यह भी दावा किया है कि वे लोग अनुसूचित जाति का सदस्य है।

माननीय निम्न न्यायालय के द्वारा दिनांक-9.07.1991 को पारित उपरोक्त अंतिम आदेश के विरूद्ध अपीलकर्त्तागण के द्वारा यह अपील लगभग 16 वर्षो के बाद दिनांक-12.02.2007 को श्रीमान् उपायुक्त गोड्डा के न्यायालय में दायर किया गया है, जिसे सुनवाई के लिए अंगीकृत कर उत्तरवादियों को नोटिश निर्गत किया गया।

बाद में श्रीमान् उपायुक्त के न्यायालय में अपील ग्राउंड में निम्न न्यायालय के द्वारा पारित अंतिम आदेश की तिथि संबंधित त्रुटि में संशोधन के लिए अपीलकर्त्तागण द्वारा एक सुधार आवेदन दिनांक-26.07.2010 को दाखिल किया एवं अपीलीय न्यायालय के आदेश दिनांक-19.11.2012 के द्वारा निम्न न्यायालय के आदेश की तारीख 09.07.1991 को संशोधित करते हुए दिनांक-16.12.1991 प्रतिस्थापित किया गया है।

अपील की प्रक्रिया लंबित रहने के दौरान उत्तरवादी सं0-1 सुधीर चन्द्र दूबे की मृत्यु हो जाने पर उनके स्थान पर उनकी विधवा इन्दू दूबे व दो पुत्र अमर अभिशेख दूबे एवं अमृत आंनद एवं एक पुत्री अपरिजिता को पक्षकार बनाया गया।

उभय पक्षों के अधिवक्ताओं को सुना।

अपीलकर्त्ता के विद्वान अधिवक्ता का बयान है कि विवादग्रस्त जमीन का पर्चा उनके पूर्वजों के नाम से है और मूल उत्तवादियों ने जाली दस्तावेजों के आधार पर एवं बिना उन्हें सूचना विधिवत दिए, उक्त जमीन का मुटेशन अपने नाम से करा लिया है जो विधि विरूद्ध होने के कारण रद्द किये जाने योग्य है।

उसके विपरित उत्तरवादियों के विद्वान अधिवक्ता का कहना है कि निम्न न्यायालय के आदेश में कोई त्रुटि नही है। उत्तरवादी सं0-1 सुधीर चन्द्र दूबे के पिता-राजेन्द्र प्रा0 दूबे जो लतौना स्कूल में शिक्षक थे, ने उपरोक्त जमीन को दो कुरफा के जारिये हासिल किया था तथा उस पर अपना मकान बनाकर एवं बगीचा लगा कर तथा पूरे क्षेत्र को चाहर दिवारी से घेर कर उस पर शंतिपूर्वक दखलकार रहे तथा उक्त जमीन का अपने जीवनकाल तक जोत-आवाद करते रहे तथा कुरफा बंदोवस्ती के बाद उक्त जमीन का खजाना जमाबंदी रैयत को देकर उसका रसीद कुरफादार राजेन्द्र प्र0 दूबे प्राप्त करते रहे तथा उक्त जमीन का मुटेशन दिनकर प्र0 दूबे और सुधीर चन्द्र दूबे दोनों पुत्र राजेन्द्र प्र0 दूबे के नाम से हो जाने के बाद ये लोग खजाना दे कर रसीद प्राप्त कर रहे है। प्रक्रिया के दौरान निम्न न्यायालय द्वारा कानूनगो से जाँच कर प्रतिवेदन भी मांगा गया था और कानूनगों ने न्यायालय को प्रेषित प्रतिवेदन में उत्तवादियों के कथनों का पूर्णतः समर्थन किया और उत्तवादियों के दखल को सत्य पाया है। साथ ही निम्न न्यायालय द्वारा मौजा के 16 आना रैयती को आपत्ति हेतु नोटिश निर्गत किया गया एवं नोटिश के तामिला के बावजूद कोई आपत्ति दायर नही होने के बाद ही निम्न न्यायालय द्वारा कानूनगो के प्रतिवेदन के आधार पर उत्तरवादियों के नाम से मुटेशन किया है और उस प्रकार निम्न न्यायालय के आदेश में हस्तक्षेप करने का कोई आधार नही है।

उत्तरवादियों का यह भी कहना है कि 1991 में उक्त जमीन का मुटेशन उत्तरवादी दिनकर प्र0 दूबे और सुधीर चन्द्र दूबे के नाम से हो जाने के बाद एवं तदनुसार शुद्धिपत्र निर्गत होने के बाद उपरोक्त जमाबंदी नं0-27 के कुल रकबा- 6बीघा 15कट्ठा 07धूर में से 01बी0 10क0 16धूर (एक बीघा दस कट्ठा सोलह धूर) जमीन की कमी हो जाने के बावजूद भी अपीलकर्त्तागण ने निम्न न्यायालय के आदेश के विरूद्ध कोई अपील 16 वर्ष की लंबी अवधि बीत जाने तक दायर नही किया। जबकि कानूनन आदेश की जानकारी के एक सीमित समय के अन्दर ही अपील दायर किया जा सकता था। इस प्रकार वर्त्तमान अपील काल वाधित है और खारिज करने योग्य है।

निम्न न्यायालय के अभिलेख एवं अपील ग्राउड् के अवलोकन एवं पक्षकारों के विज्ञ अधिवक्तों के बहसों को सुनने पर पाता हूँ कि मौजा-लतौना, थाना व अंचल-पथरगामा, जिला-गोड्डा के जमाबंदी नं0-27 के दाग नं0-348 के अन्दर 01-10-16 (एक बीघा दस कट्ठा सोलह धूर) जमीन जो गेंजर सेटेलमेंट परचा में जाबंदी रैयत पंथर मेहरा, धुरो मेहरा इन्ही लोगों के वंशज है तथा

अपर समाहर्त्ता का न्यायालय, गोड्डा

RMA No- 25/ 2013-14

उत्तरवादी सं0-1 और 2 ने बिना किसी नोटिश के निम्न न्यायालय से उक्त जमीन का मुटेशन कुरफ रसीद एवं सिर्फ कानूनगो के प्रतिवेदन के आधार पर अपने नाम से करा लिया है, जो कानूनन गलत है। दखिल-खारिज मे सोलह आना रैयत के अलावा उभय पक्ष को नोटिश किया जाता है। पक्षकारों को अपना पक्ष रखने का समुचित अवसर दिया जाता है, तत्पश्चात ही कोई निर्णय लिया जाता है। जबकि उक्त केस में सिर्फ आवेदक के आवेदक एवं कानूनगों के एक मात्र प्रतिवेदन के आधार पर विपक्षी के पक्ष में मुटेशन कर दिया गया है जिससे स्पष्ट होता है कि उक्त केस में तथ्य को छिपा या दबाकर एकपक्षीय सुनवाई के आधार कर मुटेशन किया गया है इसमें जमाबंदी रैयत का कोई सहमति नही है।

अभिलेख के उपलब्ध तथ्यों के सुक्ष्म विवेचना के आधार पर यह न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुँचती है कि भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, गोड्डा का मुटेशन अपील नं0- 28/1991-92 दिनकर प्रसाद दूबे वैगरह बनाम् रैयान मौजा लतौना से संबंधित केस में दिनांक-16.12.1991 को पारित आदेश नियमानुकुल नही है जिसे खारित किया जाता है। असंतुष्ट पक्षकार चाहे तो सक्षम न्यायालय जा सकते है।

लेखापित एवं संशोधित।

अपर समाहर्त्ता,
गोड्डा।

अपर समाहर्त्ता,
गोड्डा।

Digitally signed by SMITA TOPPO
Date: 2023.05.20 15:05:45 +05:30
Location: 192.168.1.9